

डायाग संख्या 3228
दिनांक 25/6/18

जायरी सं. 6032 / मु.ओ. (सू.प्र.ओ.सो)
दिनांक 25/6/18

प्राधिकृत संख्या- 249 / 2018-19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या- जी-293/आईओबीओ/108बी-22ए/अनु-94/पूँजीगत/आवंटन/2018-19

लखनऊ दिनांक जून, 19, 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-127/2018/1357/18-27-सि-4-52(इएल्यू)/08, दिनांक-11.06.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 94 लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण पर हेतु प्राधिकारित बजट की धनराशि ₹ 200.00 लाख (रु. दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के फलस्वरूप प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को घनावंटन किये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि प्राधिकृत किया जाता है-

(आकड़े लाख रु में)

लेखाशीर्षक / उपशीर्षक / मद	अधिकारी का नाम	आवंटित धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)		
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
101-सतही जल		
04-प्रस्यावतन योजनाएं		
0415-अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण	प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक)	200.00
24-वृहत निर्माण कार्य		

(रु. दो करोड़ मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश दिनांक-11.06.2018 में दिये गये नियमों/शर्तों के अंदर किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या-जी-293 / (1) / आईओबीओ / तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-04, उ.प्र. शासन, लखनऊ को उपरोक्त शासनादेश के क्रम में।
4. प्रमुख अभियन्ता, (यांत्रिक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/ (अग्रिम नियोजन)/ (सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, नलकूप (मध्य/पश्चिम/पूर्व/वाराणसी) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ/मेरठ/फैजाबाद/वाराणसी।
7. मुख्य अभियन्ता (सफ़ाई) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
9. अधिशासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
10. बरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
11. प्रशासनिक अधिकारी (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
12. कट फाईल हेतु।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(चन्द्रबान राम)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृत प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

25/06/18